न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/73/2018	23–10–2018	18–12–2018

1–धनेश कुमार पुत्र श्री जयसिंह जाति गुसाई निवासी गुसाईयो की ढाणी, तन जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1–श्रीमति बाली पत्नी स्व0 सुरेश
2–बलवन्त पुत्र सुरेश
3–हबलू पुत्र सुरेश
4–रवि पुत्र सुरेश जाति गुसाई निवासी गुसाईयो की ढाणी, तन जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

–असल अप्रार्थीगण

4–कमला पत्नी जयसिंह
5–कृष्ण कुमार पुत्र जयसिंह जाति गुसाई निवासी गुसाईयो की ढाणी, तन जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
6–श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बहैसियत लैण्ड होल्डर मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7–श्रीमान् उप पंजीयक महोदय मुण्डावर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री सुदर्शन पंडित –वकील प्रार्थी
02. श्री रामेश्वर दयाल –वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी बाला बनाम अशोक को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व वाद बअनुवानी बाला बनाम अशोक उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में विचाराधीन है। उक्त अनुवानी मुकदमें में दिनांक 22.10.2018 को बहस नहीं हो सकी व आगामी पेशी दिनांक 23.10.2018 को वास्ते बहस नियत कर दी गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने गांव में ऐलानीय कहां कि हमने साहब को रूपये दे दिये है। मुकदमें का फैसला हमारे पक्ष में होगा इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में भी आते–जाते देखा है। पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से भी स्पष्ट जाहिर है कि वो उक्त मुकदमें में न्याय नहीं करेगे इसलिए उक्त मुकदमा दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि यह कहना गलत है कि दिनांक 22.10.2018 करे बहस नहीं हो सकी। इसलिए आगामी पेशी 23.10.2018 नियत की गयी। उक्त प्रकरण काफी लम्बे समय से विचाराधीन है। जिस पर आगामी पेशी 22.10.2018 नियत की गई किन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी उससे फाईल ले गया तथा उसने अपना अधिवक्ता बदल लिया है। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया है व बहस सुनने का निवेदन किया गया है। किन्तु वकील प्रतिवादी ने अगले दिन दिनांक 23.10.2018 को बहस करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को अन्तिम बहस मान लिया जावें अथवा एक अवसर और दिया जावें। पीठासीन अधिकारी द्वारा वास्ते बहस दिनांक 02.11.2018 नियत की गयी। प्रार्थी का यह कहना गलत है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

कि अप्रार्थी ने मौजिज व्यक्तियों से यह कहां हो कि साहब से बात हो गयी है तथा रूपये दे दिये है व मुकदमें का फैसला उनके पक्ष में होगा। पीठासीन अधिकारी का कोई व्यवहार ऐसा नहीं था जिससे पक्षपात जाहिर हो। उक्त प्रकरण काफी पुराना है तथा प्रार्थी मुकदमें में देरी करना चाहते है। प्रार्थी को साक्ष्य हेतु 12–13 अवसर दे दिये गये थे। किन्तु साक्ष्य नहीं कराये गये। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमनें पत्रावली एवं अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि यह न्यायालय किसी पक्षकार को न्यायालय कार्य से न्यायालय के अलावा कहीं भी मिलने की अनुमति नहीं देता। प्ररकण में विधिक प्रकिया अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है। मनमानी तरीके से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये सभी आरोप झूठे व मनगढन्त है। प्रार्थी द्वारा अनावश्यक विलम्ब करने से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण काफी समय से लम्बित है। प्रार्थी के वकील बहस नहीं कर प्रकरण में अनावश्यक देरी कर रहे है। फिर भी उक्त प्ररकण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–12–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)